eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल के अधिकार एवं चुनौतियाँ : आलोचनात्मक अध्ययन

[1]डा0 सुधाकर कुमार मिश्रा
[2]प्रो0 प्रवीन गर्ग
[1]सहायक प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, एस0एस0एन0 कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
[2]प्राचार्य, एस0एस0एन0 कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

Received: 20 Nov 2020, Accepted: 30 Nov 2020, Published with Peer Review on line: 31 Jan 2021

Abstract

भारत में एक संविधान है, इसी संविधान से संघीय सरकार एवं इकाई की सरकार शक्ति प्राप्त करती है। संघीय शासन प्रणाली में शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संविधान के भाग–6 में राज्य सरकार का प्रावधान है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है; एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। इसका आशय यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जाती है; परंतु इसको 5 वर्ष से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने को बाध्य होने के कारण वह राज्य का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान ही रह जाता है।

मुख्य शब्दः राज्यपाल, संसदीय शासन प्रणाली, संघीय व्यवस्था एवं संवैधानिक प्रमुख।

Introduction

भारत के संविधान के अन्तर्गत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत संघीय कार्यपालिका की तरह राज्यों के प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान एवं राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जिसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। भारत के संविधान के अन्तर्गत प्रावधान है कि अनुच्छेद 153 के अन्तर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा।[1] दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकता है।

राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है; वह अपनी कार्यपालिकीय शक्तियों का अनुप्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। अधीनस्थ प्राधिकारी के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद एवं नौकरशाही भी होती है। भारत में एक संविधान है; इसी संविधान से संघ एवं इकाई शक्ति प्राप्त करती है। संघीय शासन प्रणाली में शक्ति का मुख्य स्रोत संविधान होता है। संविधान के भाग–6 में राज्य सरकार का प्रावधान है।

इस प्रकरण पर शोध पत्र लिखने का मौलिक कारण है;

1. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के लिए राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को बनाने का विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है;
2. अन्य कुछ राज्यों में राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के आपसी टकराव के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल का पद चर्चा एवं विवाद का विषय भी है। इसके साथ ही प्रत्येक राज्य की विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सामाजिक–आर्थिक वातावरण के कारण राजनीतिक प्रक्रियाएँ एवं राजनीतिक क्रियाकलाप अलग–अलग होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है; एवं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है। इसका आशय यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति पाँच वर्ष के लिए की जाती है; परन्तु इसे पाँच वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है।[2]

परिकल्पना : (1) क्या राज्यपाल संघीय कार्यपालिका का मात्र अभिकरण है? (2) क्या राज्यपाल की शक्तियाँ संवैधानिक प्रधान की है?

संसदीय परम्पराओं, संवैधानिक विकास के अनुसार राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है; मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता हैं। राज्यपाल राज्य विधानमण्डल एवं कार्यपालिका प्रमुख होने के कारण दोहरी भूमिका निभाता है।[3] राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि वह राज्य के शासन एवं प्रशासन को सुचारू रूप से गतिशीलता प्रदान करें। दोहरी भूमिका से आशय है कि;

1. वह राज्य का कार्यपालिका प्रधान एवं संवैधानिक प्रधान है;
2. वह राष्ट्रपति एवं केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि होता है।[4]

अनुच्छेद 164 (A) में प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। जब चुनाव पश्चात् किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं प्राप्त होती है, इस स्थिति में राज्यपाल को विवेकाधिकार प्राप्त है।[5] इस तरह राज्यपाल अपने विवेक से निम्न पर विचार कर सकता है :–

1. बहुमत पाए दल को सरकार गठन के लिए न्योता देना
2. चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को न्योता
3. सबसे ज्यादा विधायक सीट पाने वाले दल को न्योता
4. राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को सरकार गठन करने का न्योता दे सकते हैं; जिस व्यक्ति पर राज्यपाल को विश्वास है कि वह व्यक्ति विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर सकता है।[6]

श्री.के.एम. मुँशी के शब्दों में ''राज्यपाल को मंत्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी स्थिति वैसी ही है जैसे ब्रिट्रेन में राजा या रानी की है।''[7]

राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के समान राज्य में आयोजित समारोहों की शोभा बढ़ाता है और विशेष एवं विशिष्ट मेहमानों का स्वागत करता है। इस सम्बंध में श्री टी.टी. कृष्णामचारी जी का कहना है कि– ''राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रधान है, जिसके पास वास्तविक प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है।[8]

राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है; परंतु साथ ही इससे कुछ अलग भी माना गया है। इस दृष्टि से उनके अधिकार को मुख्यतः दो संदर्भ में परीक्षण कर सकते है:–

1. राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में;
2. राज्य में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में।[9]

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

राज्यपाल के शक्तियों का अध्ययन विधायी, कार्यपालिकीय, न्यायिक एवं राज्य में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में करने पर स्पष्ट होता हैं कि कार्यपालिकीय शक्तियों के अन्तर्गत राज्य का प्रशासन राज्यपाल के द्वारा अपने अधीनस्थ पराधिकारियों की सहायता से चलाया जाता है। संविधान के अनु. 164 के अन्तर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है एवं मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।[10] राज्यपाल लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता हैं। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति राज्यपाल से सलाह ले सकते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमण्डल में ऐंग्लों इण्डियन समुदाय का प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत करता है तथा राज्य विधान परिषद में निर्धारित सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यपाल राज्य विधनमण्डल का अभिन्न अंग हैं। इस सन्दर्भ में राज्यपाल विधानसभा की बैठके बुला सकते है; इसका सत्रावसान कर सकता है तथा इसे भंग भी कर सकता है।[11]

राज्यपाल प्रत्येक सत्र के आरम्भ में अभिभाषण करता है। विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् कानून बन जाता हैं। इस विषय में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकता हे। अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा अधिवेशनों के अन्तरकाल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है; लेकिन अध्यादेश की वैधता को प्रदान करने के लिए विधानसभा की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायिक अधिकार के अन्तर्गत राज्यसूची के विषय के अन्तर्गत मामले में दोषियों के दण्ड को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या उस दोष को बदल सकता है।[12] केन्द्र के प्रतिनिधि के तौर राज्यपाल यह देखता है कि सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रही है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति सन्तोषजनक है। यदि राज्यपाल को यह महसुस हो जाए कि संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत शासन संचालित नहीं हो रहा है; कानून एवं व्यवस्था पर गम्भीर खतरा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन कर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है।

उद्देश्य– संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल के अधिकार एवं चुनौतियों को चयन करने का मौलिक उद्देश्य यह है कि राज्यपाल से सम्बंधित संवैधानिक अधिकार एवं विवेकाधीन शक्तियों पर बहस होती हे। राज्यपाल की शक्तियाँ वास्तविक न होकर भी राज्य शासकीय व्यवस्था में सर्वाधिक सम्मानित एवं प्रतिष्ठित संवैधानिक व्यक्तित्व है। राज्यपालों के संवैधानिक शक्तियों एवं विवेकीय शक्तियों से सिद्ध हुआ है कि परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपालों ने संवैधानिक प्रधान से अधिक भूमिका निभायी है। स्वविवेक से निर्णय लेने में पूर्णतः सक्षम प्राधिकारी सिद्ध हुए है। राज्यपाल स्वविवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने में निर्वाचित मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य विधानसभा किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है; जिसे कुछ अन्य दलों के मिले–जुले समर्थन से बहुमत प्राप्त हो सकता है एवं मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता हे। राज्यपाल स्वविवेकाधीन शक्तियों के कारण एक संवैधानिक प्रधान से भी बढ़कर अपनी भूमिका निभाता हैं। इस सम्बंध में डॉ. पी.के. सेन जी का कथन उल्लेखनीय है कि– ''राज्यपाल केवल नाममात्र का अध्यक्ष

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

नहीं है वरन् वह राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिसका कार्य यह देखना हे कि राज्य का शासन ठीक प्रकार से चल रहा है अथवा नहीं।''[13] राज्यपाल के वास्तविक स्थिति के सम्बंध में विभिन्न प्रकार से आलोचनाएँ की जाती हैं। सर्वाधिक आलोचनाओं में कहा जाता हे कि राज्यपाल संघीय सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इस सम्बंध में श्री. बी.जी. खेर का कहना है कि– ''एक कुशल राज्यपाल शासन को बहुत उपयोगी बना सकता है और एक अकुशल राज्यपाल शासन को अनुपयोगी सिद्ध कर सकता है।''[14]

इस सम्बंध में **Prof. M.P. Sharma** ने लिखा है कि– ''राज्यपाल अपने राज्य का उसी प्रकार संवैधानिक अध्यक्ष है जिस प्रकार राष्ट्रपति संघीय सरकार का है। हम यह कह सकते हैं कि संकटकालीन तथा आन्तरिक शक्तियों से शून्य राष्ट्रपति है।[15] उद्देश्य की दृष्टि से कहा जा सकता है कि– ''वह केवल नाममात्र का अध्यक्ष नहीं, वह एक ऐसा प्राधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है।

शोध–प्रणाली: इस शोध पत्र को लिखने में कानूनी–संवैधानिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र के लेखन में व्यवहारिक उपागम का भी सहयोग लिया गया है।

डाटा–अन्वेषण:

1. 1967 में चौथे आम चुनाव के पश्चात् राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा केरल राज्यों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के पश्चात् राज्यपालों ने जिस प्रकार अपने विवेक का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री नियुक्त किए या कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन नियुक्त किए। इस राजनीतिक उथल–पुथल से संकेत मिलता है कि राज्यपालों ने अपने पद का दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से किया था।[16]

2. 1975 में राष्ट्रीय आपात के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता को केन्द्रीयकरण (Centralization of the power) करने की दृढ़ संकल्पित इच्छा से राज्यपालों के पद का दुरुप्रयोग खुले रूप में केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को राजनीतिक लाभ पहुँचाने के लिए किया गया है; जबकि राज्यपालों ने गैर–कॉंग्रेसी सरकारों को राजनीतिक अस्थिरता पहुँचाया; एवं इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों को श्रीमती गाँधी जी नापसन्द करती थी उनके विरुद्ध भी राज्यपालों ने अस्थिरता एवं हस्तक्षेप किया। तमिलनाडु की सरकार एवं उत्तर–प्रदेश में श्री एच.एन. बहुगुणा की सरकार।[17]

3. 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता, लोकतंत्र, संसदीय एवं संघीय परम्पराओं की रक्षा की बचनबद्धता पर सत्ता में आयी थी; इस सरकार ने राज्यपाल की सत्ता को दलीय राजनीति में ही सिमट कर रख दिया था। जिन राज्यों में कॉंग्रेस की निर्वाचित सरकार थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागु करके संघीय ढाँचे एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंट दिया था। इस तरह 1980 में श्रीमती इंदिरा गाँधी ने सत्ता में वापसी की तो इन्होंने सत्ता के केन्द्रीयकरण के लिए राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया।[18]

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

4. श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार सत्ता में आई तो इसने भी राज्यपाल पद की गरिमा को राजनीतिक लक्ष्य के लिए प्रयोग किया था। श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार ने श्री वी.पी. सिंह के द्वारा नियुक्त राज्यपालों को पदच्युत किया एवं अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया। यह राजनीतिक कदम राज्यपाल के पद के गरिमा को काफी आघात पहुँचाया था। राज्यपाल पद पर राजनीतिक नियुक्तियों का सबसे ज्वलंत उदाहरण हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री गुलशेर अहमद का है; जिन्हें नवम्बर 1993 में विधानसभा चुनाव के दौरान सतना में अपने पुत्र के पक्ष में चुनावी प्रचार के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।[19]

इसी प्रकार 1998 में राज्यपाल श्री रोमेश भण्डारी ने मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी को बर्खास्त कर दिए ; उनके स्थान पर श्री जगदंबिका पाल जी को मुख्यमंत्री नियुक्त किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक बताया एवं पुनः श्री कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया।[20] उपर्युक्त आकड़ों का विश्लेषण करने पर यह प्राप्त होता है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार को खुश करने, अपने दल या विचारधारा के प्रति निष्ठा एवं ''संविधान के प्रति धोखाधड़ी'' किए है, जो एक संवैधानिक पद एवं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए असंसदीय है।[21]

निष्कर्षः– इस प्रकार सार रूप में कहा जा सकता है कि राज्य में राज्यपाल के रूप में संवैधानिक प्रधान एवं केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में एक प्रतिष्ठित एवं सम्मानजनक पद प्रदान किया गया है जो राज्य के कार्यों में राज्य की कार्यपालिका को सहयोग, सहायता एवं मार्गदर्शन देते हैं। औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होने के नाते वास्तव में सलाह एवं सहायता, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से प्राप्त करता है लेकिन राज्य के राजनीतिक प्रशासन सही ढंग एवं सुचारू ढंग से चल रहा है, केन्द्र की नीतियों को राज्य में किस प्रकार से अनुमोदन एवं स्वीकृति दी जा रही है, ऐसे विभिन्न विषयों पर वह केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करता है। राज्यपाल की गरिमामयी उपस्थिति से राज्य का राजनीतिक तंत्र महत्वपूर्ण रूप से संचालित होती है। राज्यपाल संघ और राज्य के बीच सेतु का कार्य करता है। राज्य को एक बड़े भाई के रूप में संघ को राज्य की आकांक्षा का संचार करना है और एक डाकिया की तरह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को राज्य स्तर पर लाना है।

सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्यपाल का पद राजनीति से ऊपर हैं। राज्यपाल के कार्यालय को राज्य के कल्याण की जिम्मेदारी दी जाती है। इसलिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का दायरा सीमित है। राज्यपाल के कार्यों को मनमाना नहीं दिखना चाहिए। राज्यपाल न तो सजावटी प्रतीक है, बल्कि संघवाद को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

सुझावः– स्वतंत्रता के बाद राज्यों के शासकीय व्यवस्था में राज्यपाल की जो भूमिका रही है उसके कारण केन्द्र–राज्य सम्बंधों में व्यापक तनाव, संघीय व्यवस्था के सिद्धांत एवं व्यवहार पर चोट और भारतीय लोकतंत्र को चलाने में बड़ी कठिनाई आयी हैं। इसलिए समय–समय पर प्रेक्षकों, समितियों, आयोगों एवं बुद्ध जीवियों द्वारा राज्यपाल के कार्य एवं भूमिका पर काफी सुझाव आए है। 1969 में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी प्रतिवेदन में कहा था कि राज्यपाल पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए जिसे सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासन का लम्बा अनुभव हो, जिस व्यक्तित्व पर

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 4, Issue 01, Jan 2021

यह विश्वास किया जा सके वह पक्षपात से ऊपर रहेगा और दलीय दबावों से प्रभावित नहीं होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग जोर देकर कहा कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री के साथ विचार–विमर्श होना चाहिए। आयोग का यह भी सुझाव था कि कार्यकाल पूरित होने के बाद पुनः नियुक्ति नहीं होना चाहिए। 1983 में सरकारिया आयोग का गठन हुआ जिसकी प्रतिवेदन 1987 में पेश की गयी थी। सरकारिया आयोग का सुझाव था कि उच्च सम्मानित तथा सक्रिय राजनीति से अलग व्यक्तियों को ही राज्यपाल पद पर नियुक्त करना चाहिए। सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति में उपराष्ट्रपति (राज्यसभा का सभापति), लोकसभाध्यक्ष एवं सम्बंधित राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श पर होना चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग का कहना था कि मुख्यमंत्री के नियुक्ति में राज्यपाल को पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का परिचय देना चाहिए।

सन्दर्भ सूची–

1. Smart VS Shivanth, AIR 1969.
2. Article 153 of the Constitution of India, Bare Act, CLA Prayagraj.
3. Shri P.K Malhotra, Ex Principal Secretary, Ministry of Law, Government of India.
4. Shri P.K Malhotra, Ex Principal Secretary, Ministry of Law, GOI.
5. Shri P.K Malhotra, Ex Principal Secretary, Ministry of Law, GOI.
6. Shri PDT Acharya, Ex General Secretary, Loksabha.
7. Walter Bejhoti, Physics and Politics.
8. Constituent Assembly Debates, Books, Member of Loksabha Secretariat, New Delhi-1999, 3rd Printing Page 424-444
9. Prof. A.S. Narang, Indian Government and Politics, Geetanjali Publication.
10. Bare Act, CLA Prayagraj.
11. Prof. A.S. Narang, Indian government and Politics
12. Bare Act, Central Law Agency, Prayagraj.
13. Desh Deshantar, Rajya Sabha.
14. Hindustan times, 26 oct, 2019.
15. Professor M.P. Sharma, Indian Government and politics.
16. Prof. A.S Narang, Indian Government and Politics.
17. NBT, 21 Nov, 2018, Delhi Edison.
18. Prof. S.M. Said, Bhartiya Shasan Pranali.
19. Prof. J.N. Pandey, Constitution of India, CLA, Prayagraj.
20. NBT, Hindi Edition.
21. Prof. J.N. Pandey, Constitution of India CLA, Allahabad.